

सं.राबैं.पुनर्वित्त-नीति(बुनकर)No.NB.DoR-Policy(Weavers)/172/एA-7(P)/2020-21 परिपत्र सं EC No. 168 / पुनर्वित्त DoR-55 / 2020

11 जून 2020

प्रबंध निदेशक सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदय

राज्य हथकरघा विकास निगमों(एसएचडीसी) की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं के लिए प्रावधान – 2020-21 के लिए नीति

कृपया 23 अप्रैल 2014 के परिपन्न सं 76/पुनर्वित्त-26/ 2014 के साथ पठित 21 जून 2019 का हमारा परिपन्न सं 189/ पुनर्वित्त-50/ 2019-20 देखें जिसके साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा21(1) के अधीन राज्य हथकरघा विकास निगमों(एसएचडीसी) की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं हेतु राज्य सहकारी बैंकों/ मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तपोषण के लिए अल्पलावधि ऋण सीमाओं के प्रावधान की सूचना दी गई है. वर्ष 2020-21 के लिए भी मोटे तौर पर इसी नीति को जारी रखने का निर्णय किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए पात्रता संबंधी मानदंड अनुबंध में दिए गए हैं.

2. नाबार्ड की इस पुनर्वित्त ऋण सुविधा की ब्याज दर 5.55% प्रति वर्ष होगी जोकि तिमाही आधार पर, प्रत्येक तिमाही के पहले दिन – 01 जुलाई, 01 अक्तूबर, 01 जनवरी और 01 अप्रैल को या मूलधन की पूर्ण चुकौती पर देय होगी. तथापि, नाबार्ड समय-समय इसमें संशोधन कर सकता है. 23 Short Term Credit Limits to StCBs/CCBs for Financing the Working Capital requirements of State Handloom Development Corporations (SHDC)s – Policy for the year 2020-21

Please refer to our Circular No. 189/DoR-50/2019-20 dated 21 June 2019 read with Circular No.76/DoR-26/2014 dated 23 April 2014 communicating NABARD's policy for F. Y. 2019-20 for provision of short-term credit limits to State Cooperative Banks/Central Cooperative Banks for financing working capital requirements of State Handloom Development Corporations under Sec 21(1) of NABARD Act, 1981. It has been decided to continue broadly with the same policy for the year 2020-21. The eligibility criteria pertaining to this policy for the current financial year is furnished in Annexure.

2. Interest rate on NABARD's refinance under this line of credit is at present 5.55% p.a., payable at quarterly rests on the first day of each quarter i.e. on 01 July, 01 October, 01 January and 01 April every year, or on repayment of the entire principal amount. It is, however, subject to revision by NABARD from time to time. The parameters, terms and conditions and quantum of refinance as

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

अप्रैल 2014 के परिपत्र सं.76/पुनर्वित्त-26/2014 में इंगित नियम और शर्तें और पुनर्वित्त की प्रमात्रा भी तदनुसार परिवर्तित होगी.

indicated in our Circular No.76/DoR-26/2014 dated 23 April 2014 may also undergo changes accordingly.

3. कृपया पावती दें.

3. Kindly acknowledge receipt of the same.

भवदीय

(जिजि माम्मेन) मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोपरि

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

अनुबंध Annexure

राज्य हथकरघा विकास निगमों(एसएचडीसी) की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं के लिए प्रावधान - 20-21के लिए नीति Provision of Short Term Credit Limits to StCBs/CCBs for Financing the Working Capital requirements of State Handloom Development Corporations (SHDCs) - Policy for the year 2020-21

I. राज्य सहकारी बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए पात्रता मानदंडEligibility Criteria for StCBs/CCBs:

(A) लेखा परीक्षाAudit

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सहकारी बैंकों/ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लेखा-परीक्षा पूरी होनी चाहिए और नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित वित्तीय विवरणियों सहित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जानी चाहिए. साथ ही, 31 मार्च 2020 की राज्य सहकारी बैंकों की लेखा-परीक्षा 30 सितंबर 2020 तक पूरी हो जानी चाहिए और और 31.03.2020 की स्थिति को 01.10.2020 को या उसके बाद ऋण सीमाओं की स्वीकृति और अहरणों के लिए माना जाएगा.

ऋण सीमाओं की स्वीकृति और आहरण के लिए 30 सितंबर 2020 की स्थिति को हिसाब में लिया जाएगा. Audit of StCB / CCBs for the year 2018-19 should have been completed and the relative audit reports along with financial statements should have been received by the concerned RO of NABARD. Further, the audit of State Cooperative Banks as on 31.03.2020 should be completed by 30.09.2020 and the position as on 31.03.2020 will be reckoned for santion and drawal of credit limits on or after 01 October 2020.

(B) CRAR norms

निम्नलिखित सीआरएआर शर्तों को पूरा करने वाले सभी लाइसेंसधारी (अनुसूचित/ग़ैर-अनुसूचित)राज्य सहकारी बैंक और मध्यवर्ती सहकारी बैंक अल्पावधि (बुनकर)नीति के अधीन पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.
All licensed StCBs (Scheduled / Non Scheduled) and CCBs complying with CRAR conditions mentioned below would be eligible for refinance under ST(Weavers)

- केवल 31 मार्च 2019 को 9% और इससे अधिक सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंक ज़िला/ होंगे पात्र बैंक सहकारी मध्यवर्ती
 StCBs / CCBs having CRAR of 9% and above only as on 31.03.2019, will be eligible
- 2. 9% और इससे अधिक सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंक किन्तु इनसे सम्बद्ध ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का सीआरएआर यदि 9% से कम हो तो, ऐसे राज्य सहकारी बैंकों को इन ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए ऋण सीमा उपलब्ध नहीं होगी.

In case of StCBs with CRAR of 9% and above but individual CCBs with less than 9%, no credit limit will be available on behalf of such CCBs.

3. %9से कम सीआरएआर वाले राज्य सहकारी बैंक नए पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं होंगे StCB with CRAR less than 9 % would not be eligible for fresh refinance.

ग़ैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को ऋण सीमाएंLimits to non-scheduled StCBs

सीआरएआर संबंधी उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले ग़ैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(3)(क) के अधीन या इसी अधिनियम की धारा 21(2)(i) के अधीन सरकरी / अनुमोदित प्रतिभूतियों के समक्ष और / अथवा इसी अधिनियम की धारा 33 के अधीन अनुसूचित बैंकों के सावधि जमा रसीदों के गिरवी के समक्ष ऋण सीमाओं की स्वीकृति के लिए पात्र होंगे.

Non-scheduled StCBs which fulfill the CRAR criteria as provided above, will be eligible for sanction of credit limits against Government guarantee under Sec. 21(3)(a) of NABARD Act, 1981 or pledge of Govt. / approved securities under Sec. 21(2)(i) of Act ibid and / or pledge of FDRs of Scheduled Banks under Sec. 33 of Act ibid.

(गC) अनर्जक आस्तियों(एनपीए) संबंधी मानदंड NPA Norms

31 मार्च 2019 को राज्य सहकारी बैंक की निवल अनर्जक आस्तियां 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए. तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से इन राज्यों में 31 मार्च 2019 को राज्य सहकारी बैंकों की अधिकतम शुद्ध अनर्जक आस्तियों की शर्त 15% होगी. निर्धारित दर से अधिक निवल अनर्जक आस्तियों वाले राज्य सहकारी बैंक अल्पाविध (बुनकर) ऋण सीमा की स्वीकृति के लिए पात्र नहीं होंगे.

Net NPAs of the StCB not to exceed 10% as on 31.03.2019. However, with a view to increase the credit flow in the North Eastern Region, Jammu and Kashmir, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Himachal Pradesh and Uttarakhand; the ceiling of net NPA norm criterion in these States will be 15% as on 31.03.2019. The StCBs having net NPA percentage above the prescribed rate will not be eligible for sanction of ST(Weavers) limit.

2. 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं 76/पुनर्वित्त- 26/2014 में दिए गए अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगे. All other terms and conditions detailed in Circular No.76/DoR-26/2014 dated 23 April 2014 will remain the same.
